International Labour Organization

स्मार्ट यात्रा, स्मार्ट कार्य

संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासी श्रमिकों के लिए निर्देशिका

सुरक्षित प्रवास को बढ़ाना और प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण

भारत के लिए आईएलओ कार्यालय

कॉपीराइट अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन 2015

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सभी प्रकाशन सार्वभौमिक कॉपीराइट समझौते के प्रोटोकॉल 2 के तहत आते हैं। फिर भी यह प्रकाशन एक सार्वजनिक संपत्ति है और इसके अंशों को बिना अनुमोदन के, स्रोत द्वारा निर्दिष्ट शर्त के साथ पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है। पुनः प्रयुक्त या अनुवाद करने के लिए आईएलओ पब्लिकेशन (राइट्स एंड परमीशन), इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, सीएच 1211 जेनेवा 22 स्विटजरलैंड या ईमेल pubdroit@ilo.org पर आवेदन करें। केंद्र ऐसे आवेदनों का स्वागत करता है।

जिन पुस्तकालयों, संस्थानों और अन्य प्रयोगकर्ताओं ने पुनर्प्रयोग का अधिकार प्राप्त किया हुआ है, वे इस उद्देश्य के लिए जारी किए गए लाइसेंस के तहत फोटोकॉपीज बना सकते हैं। अपने देश में पुनर्प्रयोग अधिकार वाले संगठनों की जानकारी के लिए वेबसाइट www.ifrro.org पर जाएं।

आईएलओ कैटेलॉगिंग इन पब्लिकेशन डेटा

ट्रैवल स्मार्ट–वर्क स्मार्टः अ गाइड फॉर इंडियन माइग्रेंट्स वर्कर्स इन युनाइटेड अरब अमीरात्ज/इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया–नई दिल्लीः आईएलओ, 2015

आईएसबीएनः 9789228295641, 9789228295658 (वेब पीडीएफ)

इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ डीडब्ल्यूटी फॉर साउथ एशिया एंड आईएलओ कंट्री ऑफिस इन इंडिया

इंटरनेशनल माइग्रेशन/माइग्रेंट वर्कर/इंडियन/वर्कर्स राइट्स/वर्किंग कंडीशंस/लीगल एस्पेक्ट/युनाइटेड अरब अमीरात्ज

इस पुस्तिका को यूरोपीय संघ के सहयोग से विकसित किया गया है। पुस्तिका में व्यक्त विचारों को किसी भी प्रकार से यूरोपीय संघ की सहमति न माना जाए।

14.09.2

आईएलओ के प्रकाशनों में प्रयुक्त पदनाम, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा व्यवहार में लाए जाते हैं, और उसमें प्रस्तुत सामग्री, आईएलओ के किसी देश की वैधानिक स्थिति, क्षेत्रफल, किसी भूभाग या उसके आधिपत्य और सीमाओं के परिसीमन के बारे में विचार विशेष नहीं हैं।

नामांकित लेखों, अध्ययनों या अन्य सहयोग सामग्री में प्रस्तुत विचारों की जिम्मेदारी पूरी तरह से उनके लेखकों की है और आईएलओ के प्रकाशनों में प्रकाशित होने पर उन्हें आईएलओ द्वारा समर्थित न माना जाए।

प्रकाशनों में प्रयुक्त संस्थानों के नाम और व्यापारिक उत्पादों के उद्धरणों को भी आईएलओ का समर्थन न माना जाए और यदि किसी संस्था का उद्धरण रह गया हो तो उसे संस्था के प्रति आईएलओ की असहमति न मानी जाए।

आईएलओ के प्रकाशन बड़े पुस्तक विक्रेताओं या अनेक देशों में स्थित संगठन के स्थानीय कार्यालयों से या सीधे आईएलओ प्रकाशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय, सीएच 1211 जेनेवा 22, स्विट्जरलैंड से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस पते से या pubvente@ilo.org पर ईमेल से कैटेलॉग्स या नए प्रकाशनों की सूची मुफ्त प्राप्त की जा सकती है।

अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित वेबसाइट्स पर विजिट करें www.ilo.org/publns या www.ilo.org/asia

---

भारत में प्रकाशित

क्या आप संयुक्त अरब अमीरात में कार्यरत हैं या कार्य करने की योजना बना रहे हैं?

इस पुस्तिका में प्रदत्त सूचना आपको अधिक सुरक्षित महसूस करने, सुरक्षित और लाभदायक कार्य करने में मददगार हो सकती है। यह आपको शोषण और दुर्व्यवहार से भी बचने में मदद करेगी।

हमेशा याद रखें... संयुक्त अरब अमीरात में **आपके** हितों की रक्षा करने वाला सर्वोत्तम व्यक्ति स्वयं **आप** ही हैं!

तो स्मार्ट यात्रा करें और स्मार्ट कार्य करें!

सुरक्षित रहें, जागरूक रहें!

हर दिन अनेक भारतीय, आपकी ही तरह, कार्य करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में प्रवेश करते हैं। ये लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश में पहुंचते हैं और बिना किसी बड़ी समस्या का सामना किए संयुक्त अरब अमीरात में एक बड़ी श्रमशक्ति का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कठिन दौर से गुजरना पड़ता है।

किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थिति को टालने के रास्ते मौजूद हैं। यदि आपके साथ दुर्व्यवहार होता है तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं।

आपके भी अधिकार हैं

आपकी कानूनी स्थिति जो भी हो, आप मानवाधिकारों के सम्मान और संरक्षण के पात्र हैं और उत्पीड़न तथा शोषण से मुक्त जीवन के हकदार भी।

यह निर्देशिका संयुक्त अरब अमीरात में काम करने के दौरान आपको अपने अधिकारों– और जिम्मेदारियों– के संबंध में जानकारी देती है। इस जानकारी से आप स्वयं को उन लोगों से सुरक्षित कर पाएंगे/पाएंगी जो एक प्रवासी श्रमिक के रूप में आपकी स्थिति का लाभ उठाते हैं।

सर्वप्रथम, संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रवाना होने से पहले निम्न बातें जान लें

- खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) का प्रत्येक देश, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है, अपनी प्रवासी श्रमशक्ति का प्रबंध, प्रायोजक या कफाला व्यवस्था के माध्यम से करता है। इस व्यवस्था के तहत आप वित्तीय और वैधानिक, दोनों मामलों में अपने नियोक्ता की पूर्ण जिम्मेदारी होते हैं (जो प्रायोजक या कफील के रूप में भी जाना जाता है)। आपका नियोक्ता रेजिडेंट परमिट प्राप्त करने और आपको एक पहचान पत्र (अमीरात्ज आईडी कार्ड) प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह देश में रहने और कार्य करने की वैधानिक स्थिति पूरी तरह आपके नियोक्ता पर निर्भर करती है, और आप नियोक्ता की अनुमति प्राप्त किए बिना न तो देश छोड़ सकते हैं और न ही देश में प्रवेश कर सकते हैं। नियोक्ता कोई भी हो सकता है, एक स्थानीय नागरिक भी या एक कंपनी भी।

- संयुक्त अरब अमीरात में निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक देश के श्रम कानून के तहत आते हैं। यदि आप एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं तो आप श्रम कानून द्वारा प्रत्याभूत (गारंटी) किए गए अधिकारों को प्राप्त करने के पात्र हैं। यद्यपि, इसके अपवाद भी हैं। यदि आप एक घरेलू श्रमिक हैं (एक निजी आवास में कामगार या माली के रूप में कार्यरत हैं), खेतिहर मजदूर हैं, कृषि श्रमिक हैं, एक अस्थायी श्रमिक हैं, सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं या सशस्त्र बल के सदस्य हैं, पुलिस सुरक्षा बल में हैं तो आप श्रम कानून के तहत प्रदत्त संरक्षण के पात्र नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि इस प्रकार के श्रम के संदर्भ में आपको केवल वही संरक्षण प्राप्त होता है, जिसका उल्लेख नियोक्ता के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट में है, जोकि नागरिक अदालत के माध्यम से लागू कराया जाता है।

- कफाला व्यवस्था के कुछ भागों पर संयुक्त अरब अमीरात में पुनर्विचार किया जा रहा है। यहां तक कि सरकार घोषणा कर चुकी है कि कफाला व्यवस्था में परिवर्तन किए जा रहे हैं, लेकिन इस फैसले का अभी अनुपालन होना बाकी है। आपको इस बारे में नवीनतम जानकारी रखनी चाहिए।

जब आप भारत छोड़ें, तो आपके पास निम्न दस्तावेज होने ही चाहिए:

- एक पासपोर्ट जोकि न्यूनतम छह माह के लिए वैध हो, जिसके साथ मेजबान देश का वैध वीजा भी होना चाहिए।
- उत्प्रवासियों के संरक्षक द्वारा प्रदान किया गया उत्प्रवासन अनापत्ति का दस्तावेज।
- आपके वैध भारतीय बीमा प्रमाणपत्र (प्रवासी भारतीय बीमा योजना) की प्रतिलिपि।

आपको केवल उत्प्रवासन अनापत्ति के साथ अपना पासपोर्ट भारत में हवाई अड्डे पर आप्रवासन अधिकारी को दिखाने की जरूरत है, यद्यपि आपको निम्न की भी एक प्रति अपने साथ रखनी चाहिए:

- भारतीय दूतावास द्वारा प्रामाणित आपके रोजगार का ऑफर लेटर और
- चिकित्सा जांच की रिपोर्ट।

- **अपने दस्तावेजों की एक प्रति अपने परिवार या किसी मित्र के पास छोड़ दें।** सुनिश्चित कर लें कि आपने उपरिलिखित दस्तावेजों की प्रतियां करा ली हैं और उनका एक सेट भारत में अपने परिवार या किसी मित्र के पास छोड़ दिया है। दस्तावेजों की प्रतियों का एक सेट अपने साथ भी रख लें। यदि आपके पास ऐसा फोन है जो फोटो खींचता है तो आपको अपने दस्तावेजों की फोटो खींचकर उन्हें सुरक्षित कर लेना चाहिए जिससे दस्तावेजों के खो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में उन्हें दिखाया जा सके।

- **अपने प्रायोजक/नियोक्ता के ब्यौरे की जांच कर लें।** अपने प्रायोजक/नियोक्ता (कफील) के वास्तविक ब्यौरे (नाम, पता, टेलीफोन नंबर) की जांच कर लें– चाहे वह कोई व्यक्ति हो या कंपनी। यदि संभव हो तो भारत छोड़ने से पहले अपने नियोक्ता से बात कर लें। अपने परिवार को भी अपने नियोक्ता का नाम, फोन नंबर और पता अवश्य बता दें।
- **भर्ती करने वाली एजेंसी की रसीदें और ब्यौरा अपने पास रखें।** यदि आप किसी भर्ती करने वाली एजेंसी का उपयोग कर रहे हैं तो उसका नाम, पता, संपर्क करने वाले व्यक्ति का नाम और उसका फोन नंबर कहीं लिख लें (और इस विवरण को अपने परिवार या किसी मित्र के पास रख दें ताकि जरूरत पड़ने पर वे आपको सूचित कर सकें)। याद रखें कि एजेंसी को किए गए सभी भुगतानों की रसीद भी सुरक्षित रखी जानी चाहिए।
- **यात्रा पर रवाना होने से पहले अन्य लोगों से बात करें।** उन लोगों से बात कर लें जो हाल के वर्षों में या तो संयुक्त अरब अमीरात में काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं ताकि वहां रहने और कार्य करने की परिस्थितियों के बारे में मूल सूचनाएं प्राप्त की जा सकें।

संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा

धन: यात्रा के दौरान हमेशा कुछ धन (अमेरिकी डॉलर में) साथ लेकर चलें।

मादक द्रव्य: संयुक्त अरब अमीरात में नशीले पदार्थ और मादक द्रव्य लेकर चलना कड़े दंड का कारण बन सकता है। आपको अत्यंत सावधान रहना होगा कि किसी भी व्यक्ति से कोई भी तोहफा या सामग्री न लें। विशेष तौर से जब संयुक्त अरब अमीरात में यात्रा कर रहे हों तो किसी निकट संबंधी से भी कुछ न स्वीकार करें।

दवाएं: यदि आपको दवाएं ले जाने की जरूरत हो तो डॉक्टर का पर्चा साथ ले जाना कतई न भूलें।

अन्य प्रतिबंधित सामग्रियां: संयुक्त अरब अमीरात में धार्मिक साहित्य, शराब, अश्लील वीडियो कैसेट या सीडी और अन्य अश्लील साहित्य प्रतिबंधित है। इस प्रकार की वस्तुओं को ले जाना आपको दंड का भागी बना सकता है।

पहुंचने पर

आपको यह जानकारी होनी ही चाहिए कि टेलीफोन कॉल कैसे करते हैं। ऐसी स्थिति में जब आपको कोई भी हवाई अड्डे पर लेने नहीं आता है, आपको अपने नियोक्ता को कॉल करने की आवश्यकता होती है। यदि आपका नियोक्ता जवाब नहीं देता, तब भारतीय दूतावास को कॉल करें।

अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट)

प्रत्येक भारतीय जो संयुक्त अरब अमीरात में कार्य करता है उसे रवाना होने से पहले एक अनुबंध की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें कार्य के सभी आवश्यक ब्यौरे हों और ठहरने की व्यवस्था और लाभों की जानकारी हो।

- **एक अनुबंध महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वह वैधानिक दस्तावेज होता है जिसमें आपके नियोक्ता और आप यानी श्रमिक, दोनों के कर्तव्यों और बाध्यताओं का विवरण होता है।** सुनिश्चित कर लें कि अनुबंध की एक प्रति आपने अपने परिवार या एक मित्र के पास रखी है और एक प्रति अपने साथ ले जा रहे हैं।

- **यह सदैव उत्तम रहता है कि आप अपने रोजगार के प्रस्ताव पत्र या अनुबंध को भारतीय दूतावास द्वारा सत्यापित (सत्य ठहराया गया) करा लें।** इस पर नियोक्ता और दूतावास अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस सत्यापन के साथ ही न्यूनतम वेतन की गारंटी हो जाती है (यह पात्रता भारतीय दूतावास की वेबसाइट पर सुनिश्चित की गई है)।

- यह जानने के लिए कोई रिक्रूटमेन्ट एजेंट मंत्रालय के तहत पंजीकृत है या नहीं/कोई रिक्रूटमेन्ट एजेंट सक्रिय है या नहीं, कृपया भारत सरकार की वेबसाइट (www.moia.gov.in) पर रिक्रूटमेन्ट एजेंट नामक उपखंड के तहत देखिये।

- भारतीय मंत्रालय ऐसे नियोक्ताओं की सूची का रखरखाव करता है जिनके लिए पहले मंजूरी लेने की जरूरत पड़ती है। जांच कर लें कि आपके नियोक्ता का नाम इस सूची में न हो। यह सूची एमओआईए (विदेश मंत्रालय) की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

- **आपको संयुक्त अरब अमीरात पहुंचने के बाद मूल अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को कहा जा सकता है।** जब आपसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को कहा जाए (चाहे भारत में, संयुक्त अरब अमीरात में या दोनों स्थान पर) तो अनुबंध को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यह सुनिश्चित कर लें कि इसमें दर्ज शर्तों को आप अच्छी तरह समझ गए/गई हैं। यदि आप अनुबंध को पढ़ने या समझने में असमर्थ हैं तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति की मदद लें।

- **यदि संयुक्त अरब अमीरात में आपसे कहा जाए कि आप किसी अन्य (मूल) अनुबंध पर हस्ताक्षर करें** तो यह जांच कर लें कि अनुबंध का पाठ या शर्तें भारत में हस्ताक्षरित किए गए अनुबंध के समान हों या वैसी ही हों जैसी आपको भारत में बताई गई थीं। यदि कोई संदेह हो तो भारतीय दूतावास की मदद लें।

- **संयुक्त अरब अमीरात के श्रम मंत्रालय में श्रम अनुबंधों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रैटिफिकेशन सिस्टम मौजूद है।** आप मंत्रालय की वेबसाइट (www.mol.gov.ae) पर अपने अनुबंध की पुष्टि कर सकते/सकती हैं।

आपके रोजगार अनुबंध में निम्न ब्यौरे शामिल होने चाहिए:

- आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, राष्ट्रीयता, व्यवसाय, शिक्षा, निवास।
- आपके नियोक्ता का नाम, कंपनी का पता या आपके कार्य का स्थान।
- अनुबंध के प्रारंभ होने की तिथि और रोजगार की शर्तें और परिस्थितियां।
- अनुबंध की अवधि और प्रोबेशन की अवधि (छह माह से अधिक नहीं)।
- आपके रोजगार के दायित्व और कार्य के घंटे एवं ओवरटाइम (यदि कोई हो)।
- मूल वेतन और भत्ते, जिसमें खान–पान और आवास की सुविधाएं शामिल हों।
- ओवरटाइम के वेतन की गणना कैसे होगी।
- चिकित्सा का दायरा और बीमा के बारे में सूचना।
- वार्षिक अवकाश की अवधि और सूचीबद्ध अवकाश या छुट्टी के दिन (चिकित्सा या मातृत्व अवकाश) और हवाई जहाज का टिकट पाने की शर्तें।
- सेवा समाप्ति के लाभ।
- अनुबंध समाप्त करने और नवीकरण की शर्तें।

- **रोजगार का अनुबंध सीमित या असीमित अवधि का हो सकता है। एक सीमित अनुबंध (तय अवधि का अनुबंध) अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए होता है,** जबकि असीमित अनुबंध में केवल कार्य शुरू करने की तिथि होती है। अधिकतर भारतीय श्रमिक एक सीमित अवधि का अनुबंध, प्रायः दो वर्ष का–जिसे बढ़ाया भी जा सकता है, रखते हैं।
- **संयुक्त अरब अमीरात में 'मुक्त वीजा' जैसी कोई चीज नहीं होती।** प्रत्येक वीजा एक प्रायोजक के नाम जारी किया जाता है और आपको उसी प्रायोजक (कोई व्यक्ति या कंपनी) के तहत काम करना होता है। कोई भी उल्लंघन कड़ी वैधानिक प्रक्रिया की तरफ बढ़ सकता है जिसमें भारी–भरकम जुर्माना, कैद या वापस देश भेज देना शामिल है।
- **नियोक्ता को आपको निवास स्थान उपलब्ध कराना होगा जोकि आपकी मूल आवश्यकताओं में शामिल होता है।** अधिकतर नियोक्ता श्रमिकों को रहने की निशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इस संबंध में अपने अनुबंध की जांच करें या नियोक्ता से पूछ लें जिससे यह पता चल जाए कि क्या आप निशुल्क आवास के पात्र हैं या आपको इसके लिए भुगतान करना होगा।
- **इसी प्रकार अधिकतर नियोक्ता अपने श्रमिकों को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराते हैं या भोजन भत्ता देते हैं।** अपने अनुबंध की जांच कर लें या अपने नियोक्ता से पूछ लें जिससे यह पता चल जाए कि क्या आप निशुल्क भोजन के पात्र हैं या आपको इसके लिए भुगतान करना होगा।

संयुक्त अरब अमीरात में पहुंचने के बाद निम्न बातें जान लें

संयुक्त अरब अमीरात में पहुंचने के बाद, आपको चिकित्सा जांच करानी चाहिए। यदि आप अनफिट (अस्वस्थ) घोषित किए जाते/की जाती हैं या चिकित्सा जांच में असफल पाए जाते/पाई जाती हैं तो आपको वापस भारत भेज दिया जाएगा।

नियोक्ता को आपके लिए चिकित्सा बीमा खरीदना चाहिए जोकि आपके अनुबंध की अवधि तक वैध हो और आपको एक हेल्थ कार्ड प्रदान करना चाहिए (चिकित्सा सेवाओं की सुविधा प्राप्त करने के लिए)।

संयुक्त अरब अमीरात में पहुंचने पर नियोक्ता को आपको एक रेजिडेंस परमिट प्रदान करना चाहिए। आप एंट्री वीजा के साथ देश में प्रवेश कर सकते/सकती हैं लेकिन नियोक्ता को आपके पहुंचने के बाद आपके लिए रेजिडेंस परमिट प्राप्त करना ही होगा। आप रेजिडेंस परमिट के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात में रह और काम कर सकते हैं। आप किसी अन्य वीजा के साथ काम नहीं कर सकते, जैसे कि परिवार या निर्भरता वीजा। आपको रेजिडेंस परमिट तभी मिल सकता है जब आपके नियोक्ता ने आपके लिए चिकित्सा बीमा खरीद लिया हो।

रेजिडेंस परमिट प्राप्त करने के बाद नियोक्ता आपके लिए एक पहचान पत्र (नागरिक पहचान पत्र) प्राप्त करेगा। रेजिडेंस परमिट और पहचान पत्र संयुक्त अरब अमीरात में आपकी वैधानिक हैसियत के सबूत होते हैं।

आपका नियोक्ता आपके भत्तों से, निम्न मामलों को छोड़कर कोई अन्य कटौती नहीं कर सकता:

- यदि आपने अग्रिम वेतन लिया है (किसी भी एक समय पर की जाने वाली कटौती आपके वेतन के 10% से अधिक नहीं हो सकती और यह ब्याज मुक्त होनी चाहिए); या
- किस्त के लिए किया गया भुगतान, जैसे सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए या नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले लाभों के लिए; या
- यदि आप कार्यस्थल के नियमों और कायदों का उल्लंघन करते हैं (एक गलती पर किया जाने वाला जुर्माना महीने में पांच दिन के वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए); या
- यदि आपकी गलती के कारण उपकरण या मशीन खराब न हो गई हो या भारी नुकसान न हुआ हो (इस स्थिति में कटौती महीने में पांच दिन के वेतन से अधिक नहीं होनी चाहिए)।

नियोक्ता अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान आपका वेतन नहीं घटा सकता।

आप अपना नियोक्ता नहीं बदल सकते या किसी दूसरे के लिए काम नहीं कर सकते। आपको उसी नियोक्ता के लिए काम करना होगा जिसने आपके अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। जैसे ही आप अपने नियोक्ता को

छोड़ते हैं, वैसे ही आप एक अनियमित श्रमिक हो जाते हैं और आपको वापस अपने देश भेजा जा सकता है। यदि आप अपने नियोक्ता के साथ किसी भी समस्या का अनुभव करते हैं तो सहायता के लिए भारतीय दूतावास या इस पुस्तिका में सूचीबद्ध संगठनों से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी नए नियम या कानून के बारे में आपको अपने पास नवीनतम जानकारी रखनी चाहिए।

संयुक्त अरब अमीरात में आपको श्रमिक संघ का सदस्य बनने या हड़ताल करने की इजाजत नहीं है।

आपको अपने परिवार के साथ नियमित संपर्क में बने रहना चाहिए। इस बात की सहमति होनी चाहिए कि यदि एक निश्चित समयावधि तक उनसे आपका कोई संपर्क नहीं होता तो उन्हें मदद की गुहार करनी चाहिए। आप काम से विराम (नॉन वर्किंग टाइम) के समय में अपने परिवार और मित्रों से बातचीत करने के लिए स्वतंत्र हैं। जब आप अपना पहचान पत्र प्राप्त कर लेते हैं तब आप अपने टेलीफोन के लिए सिम कार्ड खरीद सकते हैं।

संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय श्रमिकों के अनेक समूह हैं। उनमें से कुछ सदस्यों के गृहराज्यों पर आधारित हैं। आपको इनमें से किसी एक समूह का सदस्य बनने के बारे में विचार करना चाहिए। उनके साथ संपर्क बनाए रखें और किसी समस्या की स्थिति में उनसे मदद लें।

आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपको जिस नियोक्ता ने नियुक्त किया है, वह अमीरात के श्रम और सामाजिक मामलों के मंत्रालय के तहत पंजीकृत है या वह फ्री जोन्स में अपना व्यवसाय संचालित कर रहा है (इन जोन्स को अमीरात सरकार ने संघ में व्यवसाय और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया है) अगर आप इन जोन्स में कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए/की गई हैं, तो आप किसी भी समय अपना नियोक्ता बदल सकते/सकती हैं। किसी अन्य स्थिति में, ऐसा करना कठिन है।

अगर आप अपना नियोक्ता बदलना चाहते हैं और आप फ्री जोन के बाहर कार्य करते हैं तो इसके लिए आपको अपने मौजूदा नियोक्ता (जिसे तनाजुल कहा जाता है) से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (नो–ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) और अपने नए नियोक्ता से 'स्वीकृति पत्र' (एक्सेप्शन लेटर) लेना होगा। इसके बाद नया नियोक्ता आपके लिए रेजिडेंस परमिट के लिए आवेदन करेगा। अगर आपका मौजूदा नियोक्ता अनापत्ति प्रमाणपत्र देने से इनकार करता है तो वह आपका मौजूदा अनुबंध रद्द कर सकता है और आपका रेजिडेंस परमिट वापस ले सकता है। सावधान रहें! अगर ऐसा होता है तो आपके संयुक्त अरब अमीरात में छह माह तक कार्य करने पर प्रतिबंध लग जाएगा और आपको तुरंत देश छोड़ देना होगा।

अनुबंध समाप्त हो जाने पर आपको अपने देश लौट जाना चाहिए। यदि आप बर्खास्त कर दिए गए हैं (हटा दिए गए हैं) या यदि आपको काम के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो भी आपको भारत वापस लौट आना चाहिए। यदि आपने त्यागपत्र नहीं दिया है या आप बर्खास्त नहीं हुए हैं तो आपके नियोक्ता को आपकी वापसी का हवाई टिकट देना चाहिए। यदि आपके अनुबंध में इसका उल्लेख है तो नियोक्ता वार्षिक छुट्टी के दौरान भी यात्रा के लिए आपको हवाई टिकट प्रदान कर सकता है।

नियोक्ता के साथ पारस्परिक समझौते के आधार पर आप अपने अनुबंध को इसकी सक्रिय अवधि समाप्त होने के बाद पुनः नवीकृत कर सकते हैं। यदि ऐसा है तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका पासपोर्ट, वीजा, रेजिडेंस परमिट, आईडी कार्ड और चिकित्सा बीमा भी नवीकृत और अद्यतन (अपडेटेड) हो गए हैं।

संयुक्त अरब अमीरात में प्रवासी श्रमिक के रूप में आपके अधिकार

संयुक्त अरब अमीरात में किसी भी आयु के पंजीकृत प्रवासी श्रमिक के रूप में, किसी भी अधिकार का उल्लंघन होने पर या नियोक्ता द्वारा दुर्व्यवहार करने पर आपको शिकायत करने और संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। यदि आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात का नागरिक न होने पर गलत व्यवहार हुआ है या आपसे ऐसा व्यवहार हुआ है जो भेदभाव पूर्ण लगता है तो इसे आपके अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है। इस पुस्तिका के अंत में दिए गए संपर्क संबंधी ब्यौरे देखें और सहायता की मांग करें।

समान कार्य करने पर महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। नीचे प्रवासी श्रमिक के रूप में आपके कुछ अधिकारों का विवरण दिया गया है।

- **आपको अपने दस्तावेज अपने पास रखने का अधिकार है।** अपना पासपोर्ट, वीजा, वर्क परमिट और रोजगार के दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखें। इसके अतिरिक्त नियोक्ता को आपको एक रेजिडेंस परमिट देना चाहिए। दस्तावेजों की मूल प्रति अपने नियोक्ता या भर्ती करने वाले एजेंट को न दें, तब भी जब वे उन्हें सुरक्षित रखने का वादा करें। सभी नए दस्तावेजों की फोटो प्रतिलिपि करना सुनिश्चित करें और उनकी प्रतियां अपने परिवार (या किसी मित्र) के पास अपने देश भेज दें। उनकी एक प्रति अपने पास भी रखें।

- **आप इसके हकदार हैं और अपने रोजगार अनुबंध में लिखित पारिश्रमिक और रहन–सहन की सुविधाओं की मांग कर सकते हैं।** आप ऐसा कार्य करना अस्वीकार भी कर सकते हैं जिसका उल्लेख आपके अनुबंध में नहीं है।

- **आपको माह में एक बार, किसी कार्यदिवस में वेतन पाने का अधिकार है।** आपका वेतन स्थानीय मुद्रा (दिरहम) में होना चाहिए और वेतन को आपके बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए।

- **आपको पूरा किए गए कार्य के लिए भुगतान पाने का अधिकार है।** यहां तक कि यदि आप गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, यदि आप अपना रोजगार छोड़ते हैं या यदि आप बर्खास्त कर दिए जाते हैं तो भी आपका नियोक्ता किसी भी स्थिति में आपका वेतन नहीं रोक सकता।

- **आप रोजगार के हर महीने के लिए दो दिन की छुट्टी पाने के हकदार हैं।** (यदि सेवा छह माह से एक साल के बीच हो) और यदि सेवा एक साल से अधिक की हो तो 30 दिन की छुट्टी पाने के हकदार हैं। अधिकतर श्रमिकों को उपयोग न किए गए अवकाश दिवसों के लिए भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है। यदि कोई संदेह हो तो सहायता के लिए इस पुस्तिका के अंत में दी गई सूची में से किसी भी एक समूह से संपर्क करें।

- **आपको चिकित्सा अवकाश लेने का अधिकार है।** लेकिन आपको एक चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता होगी और आपको अनुपस्थित रहने के दो दिन के भीतर अपने/अपनी नियोक्ता को सूचित करना होगा। उपचार और दवाओं के लिए निर्दिष्ट अस्पतालों और क्लीनिकों में जाकर चिकित्सा व्यय में छूट और अपने हेल्थ कार्ड में उल्लिखित विशेष सुविधाओं का लाभ उठा सकते/सकती हैं। कुछ मामलों में आपको निशुल्क उपचार दिया जाता है और कुछ में एक न्यूनतम शुल्क देना पड़ सकता है।

- **यदि आप अस्पताल में भर्ती होते/होती हैं तो आपको 75,000 रुपए (भारतीय मुद्रा) प्राप्त करने का अधिकार है।** आपात स्थिति के चलते भारतीय प्रवासी बीमा योजना (प्रवासी भारतीय बीमा योजना) के माध्यम से यह राशि दी जाती है।

- **आपको बीमारी की अवधि के दौरान अपनी आय प्राप्त करने का अधिकार है।** आप प्रोबेशन की अवधि के दौरान सवैतनिक बीमारी अवकाश लेने के पात्र नहीं होते। हालांकि, यदि आप प्रोबेशन की अवधि के बाद तीन माह या उससे अधिक कार्य कर लेते हैं तो आप हर साल अधिकतम 90 दिन के बीमारी अवकाश के लिए अधिकृत होते हैं– इसमें पहले 15 दिन पूर्ण वेतन के साथ, उसके बाद आधे वेतन के साथ 30 दिन तक और इसके बाद 45 दिनों तक बिना वेतन के। लेकिन यदि आप शराब या मादक पदार्थ लेने के कारण बीमार हुए/हुई हैं तो आप सवैतनिक बीमारी अवकाश के लिए अधिकृत नहीं हैं।

- **आपको अपने खाली समय में कार्यस्थल के बाहर जाने का अधिकार है।** यह सुनिश्चित कर लें कि आपका पहचान पत्र हमेशा आपके पास रहे। आपको पुलिस के द्वारा रोका जा सकता है और इसे दिखाने को कहा जा सकता है।

- **आपको आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार है।** नियोक्ता आपके आवागमन को प्रतिबंधित नहीं कर सकता। उसे आपके कमरे पर ताला लगाने का अधिकार नहीं है। आपको अपने कमरे में भीतर से ताला लगाने का अधिकार है।

- **आपको प्रत्येक सप्ताह एक दिन का अवकाश प्राप्त करने का अधिकार है।** संयुक्त अरब अमीरात में शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश होता है। आप इस दिन कार्य करने से इनकार कर सकते/सकती हैं। अगर आप शुक्रवार को कार्य करने पर सहमत होते/होती हैं तो आपके/आपकी नियोक्ता को आपको मूल वेतन के अतिरिक्त 50% का भुगतान करना होगा। आपसे लगातार दो हफ्ते शुक्रवार को काम नहीं कराया सकता।

- **आपको संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी छुट्टियों के दौरान कार्य से छुट्टी पाने का अधिकार है।** यहां हर साल 10 सरकारी सार्वजनिक अवकाश के दिन होते हैं।

- **आपको कार्य के घंटों के दौरान प्रति दिन कम से कम एक घंटे विश्राम करने का अधिकार है।** विश्राम के समय का प्रस्ताव आपके कार्य शुरू करने के पांच घंटे के बाद नहीं होना चाहिए। विश्राम के समय की गणना कार्य के घंटों के हिस्से के रूप में नहीं की जाती।

- **आपको ओवरटाइम करने से मना करने का अधिकार है।** एक कार्यदिवस आठ घंटों का और एक कार्य सप्ताह 48 घंटों का होता है। यदि आप कार्य के सामान्य घंटों से अधिक कार्य करने पर सहमत होते हैं तो आपके नियोक्ता को आपको ओवरटाइम का भुगतान करना पड़ता है (कार्य के सामान्य घंटों का वेतन और मूल वेतन का 25% अतिरिक्त, अगर आप रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ओवरटाइम करते/करती हैं तो आप सामान्य घंटों के वेतन के अतिरिक्त मूल वेतन का 50% अतिरिक्त प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं)। रमजान के दौरान, कार्य के सामान्य घंटे दो घंटे कम हो जाते हैं।

यदि आप एक घरेलू कामगार हैं तो यहां वर्णित अधिकारों में से कुछ अधिकार आप पर लागू नहीं हो सकते हैं। आपको इनके लिए अपने नियोक्ता से बात करने की जरूरत है। यद्यपि घरेलू कार्य श्रमिक कानून के दायरे में नहीं आता, फिर भी आप सेवा समाप्ति के नोटिस, बकाया वेतन संबंधी संरक्षण, आपके वेतन का आपके बैंक खाते में भुगतान, आवास की सुविधा और दुर्व्यवहार के प्रति संरक्षण के हकदार होते हैं।

अपने अधिकारों का बचाव कैसे करें

- **यदि नियोक्ता आपके रोजगार की शर्तों और परिस्थितियों का उल्लंघन करता है,** तो आप संयुक्त अरब अमीरात के श्रम और सामाजिक मामलों के मंत्रालय (विशेष रूप से श्रम विभाग) में शिकायत दर्ज करा सकते/सकती हैं। उदाहरण के लिए यदि नियोक्ता आपके वेतन के भुगतान में देरी करता है या आपको भुगतान नहीं करता है, आपके वेतन में अनुचित तरीके से कटौती करता है, आपसे बिना वेतन के अतिरिक्त घंटों तक कार्य कराता है या अनुबंध के अनुसार आप जिन छुट्टियों के हकदार हैं, वे छुट्टियां आपको नहीं लेने देता, तो आप शिकायत दर्ज करा सकते/सकती हैं। आप तब भी शिकायत दर्ज करा सकते/सकती हैं, जब नियोक्ता आपसे अनुचित व्यवहार करता/करती है या शारीरिक अथवा यौन उत्पीड़न करता/करती है। यह शिकायत आपके रोजगार अनुबंध की समाप्ति के एक साल के भीतर की जानी चाहिए।

- **यदि संयुक्त अरब अमीरात में पहुंचने पर आपको आपका नियोक्ता लेने नहीं आता,** यदि आपके रोजगार अनुबंध में कोई व्यापक परिवर्तन कर दिया गया है या बिना किसी गलती के आपका रोजगार समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया है तो भारतीय प्रवासी बीमा योजना (प्रवासी भारतीय बीमा योजना या पीबीबीवाई) आपको भारत लौटने के लिए इकोनॉमी क्लास का एक तरफा हवाई किराया प्रदान करेगा।

- **अगर अदालत में लंबित श्रम विवाद, वेतन के भुगतान न होने से या ओवरटाइम के वेतन से या नियोक्ता द्वारा अनुचित तरीके से बर्खास्त किए जाने से संबंधित है** तो आप संयुक्त अरब अमीरात के श्रम मंत्रालय में अस्थायी रोजगार परमिट के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं। यह परमिट अधिकतम छह माह के लिए या मामले के समाप्त होने तक, जिसकी अवधि भी कम हो, जारी रहेगा और तभी मंजूर किया जाएगा, जब आपके पास छह माह के लिए वैध वीजा होगा (इस कारण से भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने सभी दस्तावेजों की एक प्रति अपने पास जरूर रखें।)

- **विकल्प के तौर पर आप संयुक्त अरब अमीरात में श्रम संबंधी मामलों, जिसमें आपके अनुबंध से जुड़ी समस्या, कार्य की स्थितियां या आईडी कार्ड शामिल है,** की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर (800–665) पर कॉल कर सकते/सकती हैं।

- **यदि आप भारत से ही बीमाकृत हैं (प्रवासी भारतीय बीमा योजना या पीबीबीवाई के तहत)** तो उपयुक्त मंत्रालय द्वारा मुकदमे की जरूरत को प्रामाणित करने पर आप कानूनी खर्च के लिए 30,000 भारतीय रुपए प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं।

- **अगर आपको श्रम और सामाजिक मामलों के मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराने में कोई समस्या आती है** तो आप संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय दूतावास या अन्य संगठनों से मदद ले सकते/सकती हैं।

- **यदि आप एक घरेलू कामगार हैं और किसी समस्या का अनुभव कर रहे/रही हैं,** तो भारतीय दूतावास या पुलिस से मदद मांगें क्योंकि घरेलू कामगार, श्रम कानून के द्वारा संरक्षित नहीं होते। इस प्रकार श्रम विभाग को घरेलू कामगारों को सेवाएं प्रदान करने का अधिकार नहीं होता।

- **यदि आप सोचते/सोचती हैं कि नियोक्ता द्वारा आपको अनुचित तरीके से बर्खास्त किया गया है** तो आपको सेवा समाप्ति के निर्णय के खिलाफ श्रम विभाग में अपील करने का अधिकार है। आपका नियोक्ता केवल गंभीर कारणों से ही आपको बर्खास्त कर सकता है, जैसे कि ऐसी गलती पर जिससे आपके नियोक्ता को भारी नुकसान हुआ हो, बार–बार निर्देशों की अवहेलना करने पर, अन्य अनुशासनात्मक मुद्दों पर या बिना किसी सूचना के सात दिन से अधिक कार्य से अनुपस्थित रहने पर।

- **यदि आपको अपने कार्यस्थल के नियम और शर्तों का उल्लंघन करने के लिए आरोपित किया गया है** तो आप उस उल्लंघन की लिखित अधिसूचना प्राप्त करने और अपने आपको बचाने का अवसर पाने के हकदार हैं। आपको उल्लंघन के खुलासे के 30 दिन बाद या जांच के 60 दिनों के बाद आरोपित नहीं किया जा सकता।

- **कार्यस्थलीय चोट या व्यवसाय संबंधी बीमारी की स्थिति में, जब आप मेडिकल रिपोर्ट से सहमत नहीं हों, विशेष रूप से उपचार की अवधि,** विकलांगता की सीमा या आपके काम पर वापस लौटने की क्षमता के संदर्भ में, मामले को श्रम विभाग के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात के स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा जा सकता है।

- **आप किसी श्रमिक संघ का सदस्य बनने के लिए अधिकृत नहीं हैं** और न ही श्रम विवाद होने पर आप किसी श्रमिक संघ का प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकते/सकती हैं। श्रम विवाद होने पर आप श्रम विभाग से संपर्क कर सकते/सकती हैं।

- **संयुक्त अरब अमीरात में किसी भी प्रकार की समस्या का अनुभव करने पर** आप पुलिस, भारतीय दूतावास या इस पुस्तिका के अंत में सूचीबद्ध संगठनों से सहायता प्राप्त कर सकते/सकती हैं। भारत सरकार, संयुक्त अरब अमीरात में एक टोल फ्री हेल्पलाइन (800–46342) 24/7 चलाती है। वहां प्रवासी श्रमिकों से संबंधित विवरणों के लिए भारत सरकार की दो वेबसाइट्स भी हैं। ये वेबसाइट्स हैं– www.uaeindians.org/registration.aspx और www.cgidubai.com/register

- **संयुक्त अरब अमीरात के श्रम मंत्रालय ने श्रमिकों की शिकायतों की सुनवाई के लिए टेलीफोन हॉटलाइन भी शुरू की है।** अगर आप संयुक्त अरब अमीरात में हैं तो 800–665 पर टोल फ्री कॉल करें। अंतरराष्ट्रीय कॉलर्स के लिए 00–971–4–214–8000 पर डायल करें।

श्रम मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराना

आप श्रम मंत्रालय (विशेष रूप से श्रम विभाग) में शिकायत दर्ज करा सकते/सकती हैं:

- अगर प्रायोजक आपकी सहमति के बिना, आपका पासपोर्ट अपने पास रख लेता है
- अगर आपको दो महीने से अधिक होने पर भी वेतन नहीं दिया जा रहा और/या वेतन बैंक खाते में जमा नहीं किया जा रहा
- आपके वेतन से अनुचित कटौती की जा रही है
- अगर आपके ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जाता
- अगर आपको अपने साप्ताहिक अवकाश के दिन विश्राम नहीं करने दिया जाता
- आपका नियोक्ता वार्षिक अवकाश और अपने गृह देश जाने का हवाई टिकट देने से इनकार करता है
- आपका नियोक्ता ऐसी पे स्लिप देने से इनकार करता है जिस पर आपके वेतन, ओवरटाइम की गणना और किसी और प्रकार की कटौती का विवरण होता है
- आपके पास रोजगार अनुबंध, श्रमिक कार्ड या रेजिडेंस परमिट नहीं है, या
- आपके साथ नियोक्ता या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा हमला या यौन उत्पीड़न किया जाता है (अगर ऐसा होता है तो तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं)।
- **भारत में, विदेशी रोजगार संबंधी मुद्दे पर किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए समुद्र पारीय भारतीय मामलों के मंत्रालय से संपर्क किया जा सकता है।** यदि आप भारत में किसी एजेंट द्वारा अनुबंध में दर्ज रोजगार के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए भेजे जाने संबंधी धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं या यदि रोजगार की शर्तें और परिस्थितियां उससे भिन्न हैं जिन पर आप सहमत हुए थे या एजेंट को धन देने के बावजूद आपको विदेश नहीं भेजा गया है, तो आप, आपका परिवार या कोई मित्र समुद्र पारीय भारतीय मामलों के मंत्रालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत तब भी दर्ज कराई जा सकती है जब कि आप विदेश में हों। आप भारत सरकार के **टोल फ्री नंबर** 1–800–11–3090 (एमटीएनएल/बीएसएनएल के लिए) या **हॉटलाइन नंबर** 00–91–11–4–050–3090 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह सेवा 11 भाषाओं में उपलब्ध है।
- **यदि आप संयुक्त अरब अमीरात में असहाय महसूस कर रहे/रही हैं या भारत लौटने में असमर्थ हैं, तो आप बचाव और स्वदेश भेजे जाने के लिए भारतीय दूतावास से मदद मांग सकते/सकती हैं।** यदि आप एक घरेलू कामगार हैं तो आप भारतीय समुदाय कल्याण कोष के माध्यम से बोर्डिंग और लॉजिंग के/की भी हकदार हो सकते/सकती हैं। यह कोष आपात चिकित्सा देखभाल, कानूनी सहायता और हवाई उड़ान के खर्चों के लिए वित्तीय मदद भी प्रदान करता है। इस कोष का उपयोग दूसरे देशों में मृत श्रमिकों के पार्थिव अवशेषों को हवाई जहाज के माध्यम से भारत तक या स्थानीय अंतिम संस्कार केंद्रों/कब्रिस्तानों तक पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है, यदि उनका प्रायोजक इस भुगतान के लिए (यदि अनुबंध में ऐसा लिखा हो) असमर्थ हो या अनिच्छुक हो तथा श्रमिक का परिवार खर्च का वहन करने में असमर्थ हो।

संयुक्त अरब अमीरात में एक प्रवासी श्रमिक के रूप में आपके उत्तरदायित्व

यदि आप कार्य में समस्याओं का अनुभव करते/करती हैं तो पहले अपने परिवार से बात करें, मित्रों से बात करें, अपने नियोक्ता या भर्ती एजेंसी से बात करें। यदि समस्या नहीं सुलझती है तो आपको भारतीय दूतावास में श्रम एवं सामाजिक कल्याण अधिकारी, संयुक्त अरब अमीरात श्रम विभाग या इस पुस्तिका के अंत में सूचीबद्ध संगठनों में से किसी से भी मदद के लिए संपर्क करना चाहिए।

- यदि आप अपनी नौकरी से छुट्टी लेना चाहते/चाहती हैं (व्यक्तिगत कारणों से या छुट्टियां बिताने के लिए) तो सुनिश्चित कर लें कि ऐसा करने से पहले आपने अपने नियोक्ता को सूचित कर दिया है। अपने नियोक्ता को बताए बिना छुट्टियां बढ़ाने से आपका अनुबंध रद्द भी हो सकता है।

- अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि आप बीमार हैं और कार्य पर नहीं जा सकते/सकती हैं तो अपनी जांच कराएं और विश्राम करें। लेकिन अपने नियोक्ता या सुपरवाइजर को जितना शीघ्र संभव हो, सूचित करना याद रखें और स्वास्थ्य जांच के बाद एक मेडिकल सर्टिफिकेट (रिपोर्ट) प्राप्त कर लें।

- कई बार एक साथ अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठंड लगने के कारण अनेक श्रमिकों को दिल का दौरा पड़ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। यदि आप बाहर कार्य करते/करती हैं तो अपने कमरे में लौटने के तुरंत बाद एयर कंडीशनर को तेजी से न चलाएं।

- एचआईवी और अन्य यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए सावधानियां बरतें।

- अवैध मादक द्रव्यों या शराब का सेवन न करें, जुआ न खेलें या राजनीतिक घटनाओं में संलग्न न हों। संयुक्त अरब अमीरात में इन गतिविधियों पर रोक है और इन्हें गैरकानूनी माना जाता है।

- आपको अपने कार्यस्थल के नियमों का पालन करना चाहिए। ये नियम प्रायः कार्यस्थल पर सार्वजनिक स्थान पर, जहां वे सभी को दिखाई दें, प्रदर्शित किए जाते हैं।

- आपको संयुक्त अरब अमीरात के मूलभूत मानदंडों और कानूनों को जानने का प्रयास करना चाहिए जिनमें ट्रैफिक के नियम भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए आपको सड़क पार करने के लिए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग या ओवरहेड ब्रिज का उपयोग करना चाहिए।

- आपको संयुक्त अरब अमीरात के धर्म या संस्कृति का आदर करना चाहिए और धर्म के बारे में कभी भी कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। रमजान के दौरान मुस्लिम एक महीने का रोजा रखते हैं। रोजे की अवधि के दौरान दिन में सार्वजनिक स्थान पर न कुछ खाएं, न पिएं (यहां तक कि पानी भी नहीं) और न ही धूम्रपान करें।
- यदि आप अरबी भाषा सीख लेते/लेती हैं तो यह आपके लिए लाभदायक होगा।
- आपको महिलाओं के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उन्हें कभी भी छेड़ना, घूरना या ताकना नहीं चाहिए।
- आपको अपने दस्तावेजों, जिनमें पासपोर्ट, रेजिडेंस परमिट और पहचान पत्र शामिल हैं, की समाप्ति की तिथि की जांच करते रहना चाहिए। अपने पासपोर्ट के नवीकरण के लिए भारतीय दूतावास में जाएं। अन्य दस्तावेजों के लिए अपने नियोक्ता को समाप्ति की तिथि से काफी पहले सूचित कर दें।
- आप अपने देश में अपने परिवार को एक बैंक खाते या मनी ट्रांसफर कंपनी के माध्यम से धन भेज सकते हैं जैसे कि इंटरनेशनल मनी एक्सप्रेस (आईएमई), वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम। हुंडी व्यवस्था के माध्यम से अपने देश धन भेजना सुरक्षित नहीं होता। किसी अन्य व्यक्ति के हाथ धन तभी भेजें, जब आप उस पर पूरी तरह से भरोसा करते हों।
- आप अपनी कमाई को सीधे अपने या भारत में अपने परिवार के बैंक खाते में भी जमा करा सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा क्योंकि देश वापस लौटने पर यह आपको बचत के रूप में मिलेगा।

अपनी स्थिति को जानें

क्या मैं एक नियमित प्रवासी श्रमिक हूं?

एक नियमित प्रवासन के लिए पासपोर्ट, वीजा और वर्क परमिट की जरूरत होती है। आप भारत स्थित एक लाइसेंस शुदा भर्ती एजेंसी के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात में प्रवेश करके इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक कि व्यक्तिगत रूप से आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करके भी इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपके पास ये दस्तावेज नहीं हैं, तो सरकार आपको अनियमित श्रमिक मानेगी, तब आपका संयुक्त अरब अमीरात में कार्य करना गैर कानूनी माना जाएगा। ऐसी स्थिति में सहायता प्राप्त करने के लिए आप इस पुस्तिका के अंत में सूचीबद्ध संगठनों में से किसी एक से संपर्क कर सकते/सकती हैं।

जब आपका अनुबंध समाप्त होता है– यदि आप बर्खास्त किए गए/की गई हैं या यदि आपने पहली बार देश में पहुंचने पर चिकित्सक से प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है तो आपको वापस भारत भेजा जा सकता है।

एक नियमित प्रवासी श्रमिक के रूप में आपके अधिकार

- **आपको संयुक्त अरब अमीरात में कहीं भी यात्रा करने का अधिकार है।** आपके लिए यात्रा की योजना बनाने से पहले अपने नियोक्ता को सूचित करना उत्तम रहता है। यात्रा के दौरान अपना अमीरात्ज आईडी कार्ड अपने साथ रखें।

- **नियोक्ता को दुबई या अबू धाबी हेल्थ एथॉरिटी से आपके लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज की व्यवस्था करनी होगी।** इस योजना के तहत आप सामान्य डॉक्टरी सलाह तो ले ही सकेंगे/सकेंगी, साथ ही आपातकालीन उपचार, विशेषज्ञों की सलाह, सर्जिकल, इनवेस्टिगेटिव और मैटरनिटी सेवाएं प्राप्त करने की भी सुविधा होगी। इस योजना के दायरे में घरेलू कामगार भी आते हैं।

- **आपको वर्क्समैन कंपेनसेशन ऐक्ट (फेडरल लॉ नंबर 1980 के चैप्टर 8) के तहत आने वाली बीमा योजना ईशाद (इंश्योरेंस सिस्टम फॉर एडवांसिंग हेल्थकेयर इन दुबई) द्वारा भी बीमाकृत किया जाना चाहिए।** अगर आप कार्यस्थलीय चोट या बीमारी से प्रभावित होते/होती हैं तो इस योजना के तहत आप व्यापक लाभ योजना के लिए अधिकृत हो जाते/जाती हैं। इन लाभों में वेतन का नुकसान, पुनर्वास और चिकित्सकीय व्यय और मृत्यु होने पर होने वाले लाभ शामिल हैं।

- **विदेश में कार्य करने के दौरान स्थायी विकलांगता का शिकार होने वाले श्रमिक और निधन की स्थिति में उनके परिवारजन भारतीय प्रवासी बीमा कवरेज (प्रवासी भारतीय बीमा योजना) के तहत मुआवजा पाने के लिए अधिकृत होंगे।** विकलांगता की स्थिति में मुआवजे की राशि चोट की गंभीरता पर निर्भर करती है। हालांकि ऐसे मामलों में कोई बीमा नहीं दिया जाएगा जहां श्रमिक ने जान–बूझकर खुद को चोटिल किया हो। चोट लगने की स्थिति में, नियोक्ता को तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए। आप भी पुलिस में रिपोर्ट कर सकते/सकती हैं। इसके अतिरिक्त श्रम विभाग को भी यह जानकारी दी जानी चाहिए।

- **यदि आप कार्य से संबंधित किसी चोट या व्यावसायिक बीमारी का शिकार होते हैं** तो आप चिकित्सक की सिफारिश पर उपचार की पूरी अवधि के दौरान वेतन प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। हालांकि, पहले छह महीने के बाद, अगले छह माह तक या स्वस्थ होने तक या विकलांगता साबित होने तक, जो भी अवधि कम हो, आप आधा वेतन पाने के हकदार होते हैं। अस्पताल में भर्ती होने पर आप प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) से भी 75,000 भारतीय रुपए प्राप्त कर सकते हैं।

- **आप और आपके उत्तराधिकारी भी आपको स्थायी विकलांगता या मृत्यु हो जाने की स्थिति में भारतीय मुद्रा में न्यूनतम 10 लाख रुपए पाने के हकदार हैं,** यदि आपने भारत में प्रवासियों के संरक्षण के कार्यालय के माध्यम से पीबीबीवाई (प्रवासी भारतीय बीमा योजना) में नाम दर्ज कराया है।

श्रम विवाद

- यदि आप वेतन भुगतान न करने, छुट्टी, सेवा समाप्ति के लाभों या अन्य कार्य संबंधी मुद्दों के संदर्भ में अपने प्रायोजक के साथ विवाद का अनुभव करते/करती हैं तो आप समस्या के समाधान के लिए भारतीय दूतावास की श्रमिक एवं सामाजिक कल्याण शाखा से संपर्क कर सकते/सकती हैं। दूतावास का अधिकारी सबसे पहले पत्र–व्यवहार द्वारा समस्या को सुलझाने का प्रयास करेगा, फिर प्रायोजक चर्चा करेगा। अगर इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होता या एकराय नहीं बनती तो इस मामले को संयुक्त अरब अमीरात के श्रम मंत्रालय के पास ले जाया जाएगा। अगर मसला नहीं सुलझता तो श्रम अदालत में मामला दायर किया जाएगा।

यदि आपको पुलिस द्वारा रोका या गिरफ्तार किया जाता है

- यदि आपको औचक निरीक्षण के लिए एक पुलिस अधिकारी के द्वारा रोका जाता है तो अपना नाम, पता और पूछे जाने पर अन्य विवरण दें और यदि कहा जाए तो अपना रेजिडेंस परमिट दिखाएं।

- पुलिस अधिकारी को अपने हाथ, आपकी जेबों या थैलों में डालने की अनुमति न दें। यदि आपसे अपने पास की वस्तुओं की जांच कराने को कहा जाए तो अपने आप स्वेच्छा से अपना सारा सामान एक–एक करके अधिकारी के सामने बाहर निकालें और बाहर निकाले जाने के दौरान एक–एक चीज का नाम बताएं। जब आपकी जेब और थैले खाली हो जाएं तब उन्हें पलटकर भी दिखा दें।

- केवल एक महिला अधिकारी ही एक महिला की शारीरिक तलाशी ले सकती है। इसे भी शालीनता के साथ किया जाना चाहिए। अधिकारी को आपके शरीर के निजी भागों को छूने की अनुमति नहीं होती।

- पुलिस अपराध का संदेह होने पर (जैसे कि चोरी, हत्या या मादक द्रव्यों की बिक्री) या प्रवासन का नियम भंग होने पर (अनुमति से अधिक ठहरने पर, नियमित श्रमिक का दर्जा प्राप्त किए बिना ठहरने पर) या पहचान पत्र पास में न होने पर आपको गिरफ्तार कर सकती है। आप अन्य गतिविधियों के लिए भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं जिन्हें कि इस्लामी (शरिया) कानून के तहत गैरकानूनी और दंडनीय माना जाता है जैसे कि सार्वजनिक स्थान पर नशा करना या शराब संबंधी अन्य अपराध, समलैंगिकता और सार्वजनिक स्थानों पर एक पुरुष और एक महिला के बीच अंतरंगता या किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करने का कोई भी प्रयास।

- खुद को गिरफ्तार किए जाने का कारण पूछें लेकिन प्रतिरोध न करें। यदि आप गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो आपको मदद के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क करने का अधिकार है। आप मदद के लिए अपने नियोक्ता, संबंधी, मित्र, वकील, व्यक्ति या संगठन से भी संपर्क कर सकते हैं।

- अगर आपको पुलिस स्टेशन में रखा जाता है तो अपना पासपोर्ट जमा कराने या किसी मित्र के गारंटी के तौर पर अपना पासपोर्ट जमा करने की स्थिति में मामले की सुनवाई होने तक आपको छोड़ा जा सकता है। इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप किसी मित्र के लिए अपना पासपोर्ट जमा कराते हैं और सुनवाई के दिन वह हाजिर नहीं होता/होती तो आप संकट में पड़ सकते/सकती हैं। आपको गिरफ्तार तो नहीं किया जाएगा लेकिन आप संयुक्त अरब अमीरात में तब तक फंस जाएंगे/जाएंगी, जब तक पुलिस आपको पासपोर्ट वापस नहीं दे देती क्योंकि इसमें लंबा समय लग सकता है।

- किसी भी ऐसी बात को स्वीकार करने या किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचें जो आपको समझ में न आए।
- अगर आपको किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारियों के पास आपको पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के पास ले जाने के लिए 48 घंटे का समय होता है।

यदि आपको अदालत ले जाया जाता है

- यदि आपको बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जाता है तो अपना कोर्ट केस नंबर पूछें और अपने आरोपपत्र की प्रति की मांग करें। आपको अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को जानने का अधिकार है।
- आपको निष्पक्ष मुकदमे का अधिकार है। यदि आप किसी अपराध में आरोपित हैं तो आपको अपना बचाव करने का अधिकार है। आपको कानूनी सलाहकार द्वारा प्रतिनिधित्व का अधिकार है। भारतीय दूतावास से वकील या कानूनी सहायता उपलब्ध कराने को कहें। संयुक्त अरब अमीरात में कानूनी प्रक्रियाएं अरबी भाषा में संचालित होती हैं। इसलिए दुभाषिया उपलब्ध कराने को कहें।
- आरोपों और उनके लिए मिलने वाले दंड/सजा को समझने के लिए पर्याप्त समय लें।
- यदि आप आरोपों को नहीं समझते हैं तो अपराध स्वीकार न करें। यदि आप अपराध स्वीकार करते हैं तो आपको सजा घटाकर, न्यूनतम सजा की मांग करने और कोड़े न लगाए जाने का अनुरोध करने का अधिकार है।

गिरफ्तारी के बाद और नजरबंदी के दौरान अपने अधिकारों को जानें

- यदि आपको हवालात में रखा जाता है या गिरफ्तार किया जाता है तो आपसे सवाल–जवाब किए जा सकते हैं और बयान देने को कहा जा सकता है। यदि आप बयान देने का फैसला करते हैं तो आपसे सवाल–जवाब करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम और पद नोट कर लें।
- आप पुलिस को बयान देने को बाध्य नहीं हैं, विशेष रूप से तब, जब आपको कानूनी सहायता न दी गई हो।
- आप केवल अपना पूरा नाम, पता और व्यवसाय बताने के लिए बाध्य हैं।
- पुलिस को आपके द्वारा दी गई सूचनाओं का, आरोपित किए जाने की स्थिति में, अदालत में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है।
- आपको तब तक चुप रहने का अधिकार है जब तक कि आपका वकील नहीं पहुंच जाता।
- आप अपने परिवार, किसी मित्र, वकील या भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास (कौंसुलेट) से संपर्क करने का अधिकार रखते हैं।

महिला प्रवासियों के लिए विशेष बिंदु

- आप समान कार्य करते हुए पुरुष प्रवासियों के समान ही वेतन प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं। महिलाओं को रात 10 बजे से सुबह 7 बजे के कार्य में नियुक्त नहीं किया जा सकता, घरेलू कामगारों को छोड़कर।
- घरेलू कार्य में लगी महिलाएं उत्पीड़न के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होती हैं। यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास भारतीय दूतावास का टेलीफोन नंबर हो जिससे आप समस्या होने पर तुरंत मदद का अनुरोध कर सकें।
- यदि आपको कोई ऐसी समस्या हो जिसके कारण अपने नियोक्ता को छोड़ना जरूरी हो तो आप स्थायी रूप से दुबई में भारतीय दूतावास द्वारा चलाए जा रहे आश्रय गृहों में रह सकती हैं, जब तक कि आपके भारत लौटने की व्यवस्था न हो जाए।
- भारत सरकार ने 30 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के घरेलू कार्य के लिए प्रवासन पर रोक लगाई है। यदि आप 30 वर्ष से कम आयु की हैं तो कृपया भारतीय दूतावास या दूतावास की टेलीफोन हॉटलाइन से संपर्क करें।

युवा प्रवासियों के लिए विशेष नोट

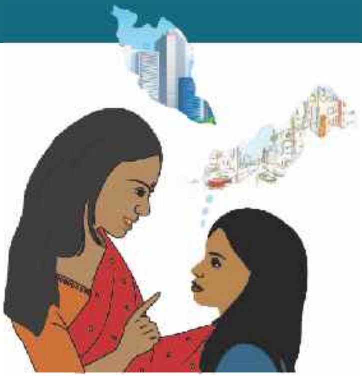

- संयुक्त अरब अमीरात में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों, जिनमें प्रवासी भी शामिल हैं, को कार्य करने की अनुमति नहीं है। यदि आप कम आयु के/की हैं और अपने आप रहते/रहती हैं (किसी के साथ नहीं हैं या किसी पारिवारिक सदस्य के साथ नहीं हैं) तो मदद की मांग करें, जैसे कि अपने दूतावास में श्रमिक और सामाजिक कल्याण अधिकारी से मदद मांगें। यदि अधिकारी आपसे पूछे तो अपनी आयु के बारे में कतई झूठ न बोलें (और किसी भी दस्तावेज में अपनी आयु में जालसाजी न करें)।

सुरक्षित रहने के तरीके

- **किसी भी ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें जो आपसे मित्रता करता है और अच्छे वेतन के साथ आसान रोजगार दिलाने का वादा करता है–** ऐसे लोग आपसे झूठ बोल रहे होते हैं।
- **किसी भी ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें जो दूसरा काम ढूंढने में आपकी मदद की पेशकश करता है या अच्छा रोजगार दिलाने का प्रस्ताव रखता है–** ऐसे लोग आपकी भर्ती के नाम पर कमीशन कमा रहे होते हैं और इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि आपके हितों की रक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता न हो।

- **किसी भी ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें जो आपका पासपोर्ट या आपकी पहचान के दस्तावेज अपने पास रखने के लिए मांगता है–** ऐसा करना सुरक्षित नहीं होगा क्योंकि आपको कहीं भी आने–जाने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है। अपना पासपोर्ट कभी भी किसी दलाल या नियोक्ता के पास न छोड़ें– आपका पासपोर्ट आपकी व्यक्तिगत वस्तु है और आपको इसे अपने पास रखने का अधिकार है।
- **अजनबियों पर भरोसा न करें–** चाहे वह कितना भी दोस्ताना व्यवहार कर रहा हो– पुरुष या महिला। यद्यपि आपको दूसरे प्रवासी श्रमिकों में कुछ से मित्रता करने का प्रयास जरूर करना चाहिए।

- **अपने आस–पास की बातों को सीखें–** निकटतम धार्मिक केंद्रों और पुलिस स्टेशन, अस्पतालों और सहायता केंद्रों का पता लगाएं। यदि आप किसी प्रकार के संकट में हों तो ये स्थान आपको शरण दे सकते हैं।
- **ऐसे किसी दलाल पर भरोसा न करें जो आपसे यह कहे कि वह वर्क परमिट दिलाने के लिए आपका नाम प्राधिकरण में दर्ज करा देगा।** यदि आप पहले से ही अपने नियोक्ता के साथ कानूनी रूप से पंजीकृत हैं और आपके पास नियोक्ता से प्राप्त वैध वर्क परमिट है तो परमिट के नवीकरण की जिम्मेदारी नियोक्ता की है।

सहायता प्राप्त करना

घर फोन करना। यदि आप संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे/रही हैं और घर फोन करना चाहते/चाहती हैं, तो सबसे पहले 0091 डायल करें। इसके बाद स्थानीय कोड और नंबर डायल करें। मोबाइल नंबर पर डायल करने के लिए 0091 और फिर 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर डायल करें।

प्रत्येक व्यक्ति को सहायता लेने का अधिकार है, चाहे उसकी स्थिति कोई भी हो।

यदि आपको इस पुस्तिका में लिखी बातें समझ नहीं आई हैं या आपको मदद की जरूरत है लेकिन आपको अधिकारियों तक पहुंचने में डर लगता है तो गिरफ्तारी या देश वापस भेजे जाने की आशंका से मुक्त होकर, आप यहां उल्लिखित किसी भी संगठन से संपर्क कर सकते/सकती हैं।

भारतीय दूतावास में नाम दर्ज कराएं

यह उत्तम रहेगा कि संयुक्त अरब अमीरात पहुंचने पर आप सर्वप्रथम भारतीय दूतावास में अपना नाम दर्ज कराएं। ऐसा करने से जरूरत पड़ने या संकट होने पर दूतावास के अधिकारी आपकी मदद करने में समर्थ होंगे।

भारतीय दूतावास	पी.ओ.बॉक्स 4090 अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात **टेलीफोन:** 00–97–12–449–2700 **ईमेल:** info@indembassyuae.org **वेबसाइट:** www.indembassyuae.com
कौंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया	पाई हमारिया डिप्लोमैटिक एन्क्लेव बुर दुबई पी.ओ.बॉक्स 737, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात **टेलीफोन:** 00–97–14–397–1222, 00–97–14–397–1333 **ईमेल:** cgidubai@cgidubai.com

संकटग्रस्त महिलाओं और घरेलू कामगारों के लिए	**वेबसाइट:** www.cgidubai.com **हॉटलाइन:** 00–97–14–205–5600 छुट्टी के दिन और कार्यलयी घंटों के बाद मृत्यु से संबंधित औपचारिकताओं के लिए **हॉटलाइन:** 050–734–7676
इंडियन वर्कर्स रिसोर्स सेंटर (आईडब्ल्यूआरसी)	15 एल, सिल्वर टावर, क्लस्टर 1 पी.ओ.बॉक्स 62494 जुमेराह लेक्स टावर्स दुबई, संयुक्त अरब अमीरात **टेलीफोन:** 00–971–4–434–0899
छुट्टी के दिन और कार्यलयी घंटों के बाद मृत्यु से संबंधित औपचारिकताओं के लिए	**हेल्पलाइन:** 800–46342 (800– भारत) एसएमएस 00–97–15–5870–3725 **वेबसाइट:** www.iwrcuae.in **ईमेल:** help@iwrcuae.in **टेलीफोन:** 00–97–050–734–7676
इंडियन कम्यूनिटी वेल्फेयर कमिटी (आईसीडब्ल्यूसी)	**टेलीफोन:** 00–97–14–397–3939 **ईमेल:** contact@icwcdubai.com
एटेस्टेशन के लिए आईवीएस ग्लोबल हेल्पलाइन नंबर	**टेलीफोन:** 00–97–04–3579585 / 04–3579636

गैर सरकारी संगठन

रेड क्रेसेंट सोसायटी ऑफ यूएई	पी.ओ. बॉक्स 3324 अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात **टेलीफोन:** 00–97–12–641–9000 **ईमेल:** callcenter@rcuae.ae
ऑफिस ऑफ द युनाइटेड नेशंस हाई कमीशनर फॉर रेफ्यूजीज (यूएनएचसीआर)	बायनूना 109293 अल बतीन एरिया विला 3, स्ट्रीट 14 अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात **टेलीफोन:** 00–97–12–667–7668 **ईमेल:** khair@unhcr.org

सरकारी प्राधिकारी

संयुक्त अरब अमीरात का श्रम मंत्रालय

श्रम मंत्रालय (मोल) या दुबई स्थित श्रम विभाग श्रम से संबंधित सभी मामलों से निपटता है। मंत्रालय वर्क परमिट (श्रमिक कार्ड) जारी करता है और श्रम से संबंधित प्रतिबंध लगाता है। इसमें केवल एक अपवाद है। घरेलू महिला कामगारों को लेबर परमिट और रेजिडेंस परमिट देने का काम प्रवासन विभाग द्वारा किया जाता है।

इस बात का ध्यान रखें कि रोजगार एंट्री परमिट (जिसे अक्सर रोजगार वीजा भी कहा जाता है) श्रम कार्ड या वर्क परमिट नहीं होता– यह प्रवासन विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला एंट्री परमिट है जो संयुक्त अरब अमीरात में अस्थायी रूप (30 दिन) से प्रवेश करने के लिए दिया जाता है। यह व्यक्ति को निर्दिष्ट नियोक्ता के लिए तब तक कार्य करने के लिए दिया जाता है, जब तक नियोक्ता श्रमिक कार्ड और रेजिडेंस परमिट (रेजिडेंस वीजा) न हासिल कर ले। हालांकि प्रवासन विभाग एंट्री परमिट तब तक जारी नहीं करता, जब तक मंत्रालय ने श्रमिक को वर्क परमिट मंजूर (जारी नहीं) न किया हो। इसीलिए सभी तरह की कार्रवाई में समय लग जाता है।

किसी भी प्रकार के श्रम संबंधी मामलों, जिसमें अनुबंध, कार्य की स्थितियां, श्रमिक कार्ड और वर्क परमिट शामिल हैं, के लिए संयुक्त अरब अमीरात में टोल फ्री टेलीफोन नंबर 800–665 है (अंतरराष्ट्रीय कॉलर्स के लिए 00–971–4–214–8000)।

या ईमेल करें callcenter@mol.gov.ae

श्रम मंत्रालय

पी.ओ.बॉक्स 809

अल सलाम स्ट्रीट, अल मतार

खलीफा पार्क के पास

अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात

टेलीफोन: 00–97–12–418–3888, 00–97–12–681–1890

संयुक्त अरब अमीरात में श्रम कार्यालय और सेवा केंद्र

श्रम मंत्रालय (एक ऑपरेटर आपको सही कार्यालय की जानकारी देगा)	00–97–14–702–3333
दुबई अदालत में श्रम संबंध कार्यालय	00–97–14–303–0570
शारजाह अदालत में श्रम संबंध कार्यालय	00–97–16–501–2371

संयुक्त अरब अमीरात के हेल्पलाइन टेलीफोन नंबर

पुलिस	999
श्रम शिकायतें (मिनिस्ट्री ऑफ लेबर)	800–665 और 00–97–14–313–9900
श्रम मंत्रालय (अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर)	00–97–14–214–8000
वीजा से संबंधित सवाल और पूछताछ	800–5111 (टोल फ्री)
तस्करी पीड़ितों के लिए	800–5005
पीड़ित सहयोग कार्यक्रम	800–8989
यूएई रेड क्रेसेंट	800–733
न्याय मंत्रालय	800–333–333
महिलाओं और बच्चों के लिए बसेरा	800–7283
दुबई पुलिस कॉल सेंटर	901
शारजाह पुलिस इमरजेंसी	00–97–16–563–3333
अजमन पुलिस इमरजेंसी	00–97–16–740–9999
फुजाइराह पुलिस इमरजेंसी	00–97–19–222–4411
उम अल कुवायन पुलिस इमरजेंसी	00–97–16–765–6677
रस अल खैमाह पुलिस इमरजेंसी	00–97–17–235–6666

भारतीय दूतावास में पंजीकृत सांस्कृतिक संगठन

भारतीय प्रवासी समुदाय कथित रूप से संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा जातीय समुदाय है जो देश की कुल आबादी के 30% के बराबर है। संयुक्त अरब अमीरात में प्रवासी समुदाय के सामाजिक संगठनों को पंजीकृत करने की व्यवस्था है और सरकार के दिशानिर्देशों के तहत, ऐसे संगठन स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। अबू धाबी में पांच पंजीकृत भारतीय संगठन हैं और अन्य छह अमीरात में से प्रत्येक में एक। पंजीकृत संगठन मुख्य संगठन हैं और उनके तहत छोटे सांस्कृतिक या जातीय समूह (पंजीकृत संगठनों से संबंधित) कार्य करते हैं। ये संगठन भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए कार्य करते हैं और सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों, जिसमें खेल–कूद भी शामिल है, को आयोजित करते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें www.uaeindians.org

संगठन	संपर्क
इंडियन सोशल एंड कल्चरल सेंटर	पी.ओ.बॉक्स 816 मीना स्ट्रीट अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात **टेलीफोन:** 00–97–12–673–0066

संगठन	संपर्क
इंडियन एसोसिएशन शारजाह	पी.ओ.बॉक्स 2324, शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात **टेलीफोन:** 00–97–16–561–0845, 00–97–16–561–0294 **वेबसाइट:** www.iassharjah.com **ईमेल:** mail@iassharjah.com
अबू धाबी मलयाली समाजम	पी.ओ.बॉक्स 2779, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात **टेलीफोन:** 00–97–12–553–7600
केरल सोशल सेंटर	पी.ओ.बॉक्स 3584 (सबाइया पोस्ट ऑफिस के सामने) मदिनाथ जायद, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात **टेलीफोन:** 00–97–12–631–4455, 00–97–12–631–4456
इंडियन इस्लामिक सेंटर	पी.ओ.बॉक्स 4190 अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात **टेलीफोन:** 00–97–12–642–4488 **ईमेल:** iic@emirates.net.ae
इंडियन लेडीज एसोसिएशन	पी.ओ.बॉक्स 3660 अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात **टेलीफोन:** 00–97–12–633–0182
इंडियन एसोसिएशन रस अल खैमाह	अल मोमुआराह पी.ओ.बॉक्स 4943, रस अल खैमाह, संयुक्त अरब अमीरात **टेलीफोन:** 00–97–17–228–8345
इंडियन एसोसिएशन अजमन	पी.ओ.बॉक्स 1632 अजमन, संयुक्त अरब अमीरात **टेलीफोन:** 00–97–16–747–4212 **फैक्स:** 00–97–16–747–4213 **ईमेल:** iaajman@emirates.net.ae
इंडियन एसोसिएशन उमअल कुवायन	ओल्ड टाउन उमअल कुवायन, संयुक्त अरब अमीरात **टेलीफोन:** 00–97–16–765–5571

संगठन	संपर्क
इंडियन सोशल सेंटर अजमन	पी.ओ.बॉक्स 12882 अजमन, संयुक्त अरब अमीरात **टेलीफोन:** 00–97–167459549 **ईमेल:** iscajman@gmail.com
इंडियन असलाही सेंटर	अल दफराह अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात **टेलीफोन:** 00–97–12–641–4311
केरल मुसलिम कल्चरल सेंटर (केएमसीसी)	मुख्य कार्यालय अल बराहा (दुबई अस्पताल के पीछे) पी.ओ. बॉक्स 55576 दुबई, संयुक्त अरब अमीरात **ईमेल:** info@dubaikmcc.org **टेलीफोन:** 00–97–14–272–7773
महाराष्ट्र मंडल	पी.ओ.बॉक्स 2286 अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात **टेली मोबाइल:** 00–97–15–591–3062
द रसमई तेलुगू कल्चरल फोरम	पी.ओ.बॉक्स 211893 दुबई, संयुक्त अरब अमीरात **ईमेल:** info@rasamayiuae.com
तेलुगू एसोसिएशन	पी.ओ.बॉक्स 16482 दुबई, संयुक्त अरब अमीरात **टेलीफोन (कार्यालय)** 00–97–14–66–0453 **टेलीफोन (निवास)** 00–97–14–66–6752
कर्नाटक संघ	पी.ओ.बॉक्स 9081 दुबई, संयुक्त अरब अमीरात **फैक्स:** 00–97–14–348–2988
तमिलनाडु कल्चरल एसोसिएशन	पी.ओ.बॉक्स 5826 दुबई, संयुक्त अरब अमीरात **फैक्स:** 00–97–14–343–4466

आपके अधिकार हैं– और जिम्मेदारियां भी

अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी रखना आपको दुर्व्यवहार से बचाता है और आपको संयुक्त अरब अमीरात में बिताए गए समय में अधिकाधिक मदद करता है।

जागरूक रहें!

यह पुस्तिका आपको सलाह देती है कि संयुक्त अरब अमीरात में सुरक्षित तरीके से कैसे रहें और कार्य करें और यदि आपको मदद की जरूरत हो तो क्या करें।

स्मार्ट यात्रा करें – स्मार्ट कार्य करें!

इस मार्गदर्शिका को आईएलओ दक्षिण एशिया श्रम प्रवासन प्रशासन कार्यक्रम के अंग के रूप में विकसित किया गया है और यह आईएलओ जीएमएस ट्राएंगल प्रॉजेक्ट द्वारा विकसित मार्गदर्शिका पर आधारित है। दक्षिण एशिया श्रम प्रवासन प्रशासन कार्यक्रम यूरोपीय संघ द्वारा अनुदान प्राप्त है।

सुरक्षित प्रवास को प्रोत्साहन और प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा

International
Labour
Organization